बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0 :–2/अ0प्र0–2–02/2017 19 /पटना, दिनांक :– 28.4.2020

पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1136 दिनांक 02.05.2017 द्वारा श्री नवलेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता को कार्य प्रमंडल, टेकारी में पदस्थापन काल में निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने एवं उनके विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–30/2017 दिनांक 27.04.2017 दर्ज किये जाने के आलोक में अनुशासनिक कार्रवाई की अनुशंसा की गयी।

2. उक्त अनुशंसा के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1231 दिनांक 12.06.2017 द्वारा श्री सिंह को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली 2005 के नियम 9(2)(क) के तहत दिनांक 27.04.2017 के प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। साथ ही श्री सिंह के विरूद्ध आरोप पत्र प्रपत्र 'क' गठित कर कार्यालय आदेश ज्ञापांक 2901 अनु0 दिनांक 19.09.2017 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी, जिसके निमित्त मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी एवं श्री रत्नेश सिंह, सहायक अभियंता, मुख्य अभियंता–1 का कार्यालय, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नामित किया गया।

3. पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1175 दिनांक 08.05.2017 के आलोक में कार्यालय आदेश ज्ञापांक 1237 दिनांक 12.06.2017 द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0आधि0 1988 के अधीन अपराधों के लिए अभियोजन की स्वीकृति प्रदान की गयी।

4. श्री सिंह के विरूद्ध गठित आरोप पत्र प्रपत्र 'क' में निम्न आरोप गठित किये गये:–

(i) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा 40,000/–(चालीस हजार) रू0 रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजे जाने के आलोक में श्री सिंह विरूद्ध निगरानी थाना कांड संख्या–030/2017 दिनांक 27.04.2017 धारा–7/13 (2) सह पठित धारा 13(1)(डी) भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 दर्ज किया गया।

(ii) परिवादी श्री राघवेन्द्र नारायण यादव, गया से ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी के अधीन प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजनान्तर्गत ईटवॉ ग्राम से डुमरी ग्राम तक पथ में किये गये कार्य के भुगतान के एवज में श्री सिंह द्वारा सत्यापनकर्ता के समक्ष कुल 40,000/–रूपये की रिश्वत की मांग की गई। पूर्व नियोजित/निर्धारित समय एवं तिथि को श्री सिंह द्वारा परिवादी से 40,000/–(चालीस हजार) रू0 रिश्वत लेकर दोनों हाथों से गिनकर अपने दाहिने हाथों की मुट्ठी में रखा गया। गवाहों के समक्ष श्री सिंह के दाहिने हाथों की मुट्ठी की तलाशी लेने पर रिश्वत की राशि 40,000/–(चालीस हजार) रूपये बरामद हुए। स्वतंत्र गवाहों के सामने जब रूपयों का नम्बर प्री–ट्रैप मेमोरेण्डम में अंकित नम्बरों से मिलाया गया तो एक समान पाया गया। धावादल के द्वारा तलाशी के उपरान्त जब श्री सिंह के दाहिने हाथ के उंगलियों एवं बॉये हाथ के उंगलियों को सोडियम कार्बोनेट के घोल में धुलवाया गया तो घोल का रंग सफेद से गुलाबी हो गया, जिससे स्पष्ट है कि श्री सिंह रंगे हाथों रिश्वत लेते पकड़े गये। सरकारी कर्मी का यह आचरण संदिग्ध, कदाचार एवं भ्रष्ट आचरण का द्योतक है।

(iii) निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना द्वारा की गयी कार्रवाई एवं भ्रष्टाचार निरोध अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत दर्ज मामले से सरकार की छवि घूमिल हुई है एवं प्रतिष्ठा का हनन हुआ है। श्री सिंह का यह आचरण बिहार सरकारी सेवक आचार नियमावली 1976 के प्रावधानों के प्रतिकूल है।

5. मुख्य अभियंता–1–सह–संचालन पदाधिकारी, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक 4969 अनु0 दिनांक 22.11.2019 द्वारा उक्त विभागीय कार्यवाही का जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 1136 दिनांक 02.05.2017 एवं संलग्न साक्ष्य से सहमत होते हुए श्री सिंह के विरूद्ध गठित सभी तीनों आरापों को प्रमाणित पाया गया।

6. संचालन पदाधिकारी के जॉच प्रतिवेदन से सहमत होते हुए श्री सिंह से बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 की कंडिका–18(3) के तहत विभागीय पत्रांक 507 अनु0 दिनांक 07.02.2020 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा की गयी।

7. श्री सिंह द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का प्रत्युत्तर विभाग को समर्पित नहीं किया गया। स्पष्ट है कि श्री सिंह को अपने बचाव बयान में कुछ नहीं कहना है। श्री सिंह के विरूद्ध प्रश्नगत आरोप भ्रष्टाचार का गंभीर आरोप है। निगरानी अन्वेषण ब्यूरो के धावादल द्वारा श्री सिंह को रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है, जो सरकारी सेवक के आचरण के प्रतिकूल है। पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषण ब्यूरो, बिहार, पटना के पत्रांक 2139 दिनांक 03.08.2017 के अनुसार श्री सिंह के विरूद्ध माननीय विशेष न्यायालय, निगरानी–1, पटना के न्यायालय में धारा–7/13(2)–सह–पठित धारा–13(1)(डी) भ्र0नि0आधि0 1988 के अंतर्गत आरोप पत्र सं0–54/2017 दिनांक 13.06.2017 समर्पित किया गया है। श्री सिंह के विरूद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में आरोप प्रमाणित पाये गये हैं।

8. उपर्युक्त परिप्रेक्ष्य में अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा श्री सिंह के विरूद्ध उपलब्ध अभिलेखीय साक्ष्य के आधार पर आरोपों को प्रमाणित पाते हुए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली, 2007 के नियम 14 (xi) में निहित प्रावधान के तहत **सेवा से बर्खास्त, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी**, की शास्ति अधिरोपित करने का निर्णय लिया गया है।

अतः उक्त के आलोक में श्री नवलेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी सम्प्रति निलंबित के विरूद्ध भ्रष्टाचार के प्रमाणित आरोपों के लिए बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील)(संशोधन) नियमावली 2007 के नियम–14(xi) के तहत **सेवा से बर्खास्त, जो सामान्यतया सरकार के अधीन भविष्य में नियोजन के लिए निरर्हता होगी**, की शास्ति अधिरोपित एवं संसूचित की जाती है।

28/04/2020

(प्रवीण कुमार ठाकुर)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–02/2017 873 /पटना, दिनांक :– 28.4.2020

प्रतिलिपि :–महालेखाकार, बिहार, पटना, वीरचंद पटेल पथ, पटना/प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग) विभाग/कोषागार पदाधिकारी, गया/कोषागार पदाधिकारी, निर्माण भवन, बेली रोड, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/2020

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :– 2/अ०प्र०–2–02/2017 873 /पटना, दिनांक :– 28.4.2020

प्रतिलिपि :– प्रधान सचिव/सचिव, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/ग्रामीण विकास विभाग/योजना एवं विकास विभाग/भवन निर्माण विभाग/निगरानी विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना/पुलिस अधीक्षक, निगरानी अन्वेषन ब्यूरो, बिहार, पटना/अभियंता प्रमुख, पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/भवन निर्माण विभाग/योजना एवं विकास विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/माननीय विभागीय मंत्री के आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अचंल, गया/प्रशाखा पदाधिकारी–4, ग्रामीण कार्य विभाग/विभागीय आई०टी० मैनेजर/श्री नवलेश प्रसाद सिंह, तदेन कनीय अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, टेकारी सम्प्रति निलंबित, मुख्यालय–अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना का कार्यालय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

28/04/2020

अभियंता प्रमुख